कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–7(197/1)/रालसा/संस्था–किराया वाहन /2021/7869–7899 दिनांक 26.04.2021 की पालना में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र संख्या संख्या राजस्थान सरकार, विधि ग्रुप(2) विभाग की आज्ञा संख्या प.8(1) विधि–2/वि.र.स.(37)/2016 पार्ट/113 दिनांक 22.04.2021 के अनुसरण में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के लिये मासिक आधार पर किराये के वाहन के लिये राशि 31,350/– एवं 2,000 किलोमीटर प्रतिमाह प्रतिवाहन किराये पर लिये जाने की व्यवस्था के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

रालसा द्वारा उक्त किराये का वाहन वित्त(जी एण्ड टी/एस.पी.एफ.सी.) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2015 एवं 31.03.2021 के पूर्ण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये वाहन किराये पर लेने के निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः व्यक्तिगत/फर्म/ट्रेवल एजेंसी से आवेदन (मय वाहन के दस्तावेज यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाईसेंस आदि) दिनांक 10.05.2021 तक कार्यालय समय में आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन की शर्ते निम्नानुसार है :–

(01) कार्यालय को कुल 1 वाहन महिन्द्रा बोलेरो वातानुकूलित 7 सीटर किराये पर लिया जाना है। वाहन का क्षेत्र टोंक जिला न्यायिक क्षेत्र होगा।

(02) वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिये।

(03) वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। नवीनतम मॉडल को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(04) वाहन मालिक का वाहन चालक स्वच्छ पोषाक में होगा एवं वाहन को साफ सुथरा रखेगा। वाहन चालक वैध वाणिज्यिक वाहन चलाने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र धारक होना आवश्यक है।

(05) वाहन मालिक को किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन पर एक प्लेट यह उद्यत करते हुये कि वाहन राजकीय कर्त्तव्य पर है, उपलब्ध्ध करवाना होगा।

(06) वाहन को यथासंभव कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा। लेकिन जोखिम वाहन मालिक की होगी। वाहन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वाहन के कर्त्तव्य का समय निर्धारित किया जावेगा। वाहन के उपयोग हेतु कर्त्तव्य स्थान से दूरी व समय की गणना के अनुसार वाहन की लॉग बुक भरी जावेगी। लॉग बुक निर्धारित प्रारूप में वाहन मालिक को वाहन के साथ उपलब्ध करवानी होगी।

(07) वाहन मालिक द्वारा किसी दिनांक को वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जाता है तो शास्ति रूपये 2000/– प्रतिदिन आरोपित की जायेगी तथा किराये पर अन्य वाहन लेने की स्थिति में यदि अतिरिक्त भुगतान किया जाता है तो अधिक भुगतान की वसूली वाहन स्वामी से की जावेगी।

(08) वाहन की मरम्मत, पेट्रोल, डीजल, ऑयल आदि व्यय वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा

(09) वाहन में जी.पी.एस. का इंस्टालेशन अनिवार्य होगा।

(10) वाहन मालिक को वाहन का किराया वित्त विभाग के परिपत्रों यथा संशोधित की शर्तों के अनुसार 31,350/– एवं 2,000 किलोमीटर प्रतिमाह (जी.एस.टी. अतिरिक्त यदि लागू है) दर पर किया जायेगा।

(11) यदि वित्त विभाग उक्त दर में भविष्य में या अनुबंध अवधि में कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित दर से भुगतान किया जायेगा।

(12) उक्त भुगतान योग्य राशि के अतिरिक्त पथकर का पुनर्भरण वाहन स्वामी को पथकर की रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। पथकर के अलावा समस्त कर वाहन स्वामी के द्वारा वहन किये जायेंगे।

(13) सभी विधिक कटौतियां जैसे टी.डी.एस., सेवाकर इत्यादि भुगतान के समय लागू विधि/नियमों के अनुसार की जाकर भुगतान किया जायेगा।

(14) किराया का लिया गया वाहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कहीं भी उपयोग में लिया जा सकता है।

(15) मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामलें में चालक को प्रति रात्रि 300/– का भुगतान किया जायेगा।

(16) 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

(17) किराये पर उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा, पाल्यूशन प्रमाण पत्र, वैध ड्राईविंग लाईसेंस, जीएसटी, पैन कार्ड आदि की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

(डॉ. रूबीना परवीन अंसारी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
टोंक (राजस्थान)

क्रमांक : 2397 - 2405 दिनांक : 30/04/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. कार्यालय पत्रावली।

02. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय/सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, टोंक

03. सिस्टम ऑफिसर, न्यायिक सेवा केन्द्र टोंक को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

04. श्री पवन कुमार शर्मा, क.लि. कार्यालय हाजा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. रूबीना परवीन अंसारी)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
टोंक (राजस्थान)